

FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)



अनवान

वेणीराम पुत्र भैरा बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर


बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956

मु0नं0 38 सन् 2021 (2021)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज
दिनांक- 18-10-2021	<p>प्रार्थी वेणीराम पुत्र भैरा बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम कारोल के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2075-2078 में खाता संख्या 52 में किता 1 रकबा 1.08 है0 भूमि प्रार्थी वेणीराम पुत्र भैरा बलाई सा. देह के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी वेणीराम पुत्र भैरा बलाई सा. देह के बजाय वेणीराम पुत्र भैरा बलाई सा. देह अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम वेणीराम पुत्र भैरा बलाई सा. देह है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कारोल के खाता संख्या 52 में खातेदार वेणीराम पुत्र भैरा बलाई सा. देह के बजाय वेणीराम पुत्र भैरा बलाई सा. देह दुरुस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरुस्ती करने की अभिशंषा की गई।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार वेणीराम पुत्र भैरा बलाई सा. देह के बजाय वेणीराम पुत्र भैरा बलाई सा. देह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> 18.10.2021 (सुन्दर लाल बर्मोडा) उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा</p> 

रिपोर्ट पटवारी बागड व भू.अ. निरीक्षक कोट तहसील रायपुर  
 महोदयजी, निवेदन है कि ग्राम कारोल के खाना नं. 52 में खातेदार  
 काई खेरीराम पुत्र मेरा जाति बलाई नि-कारोल दर्ज रिकार्ड है  
 जबकि खातेदार के माध्यम काई एवं पहचान पत्र में खेरीराम दर्ज  
 है भन। उक्त खाते खेरीराम के बजाय खेरीराम दर्ज किया  
 जाना उचित है।



Jinoy  
 पटवारी  
 प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

Chaitanya  
 अधिकारी



रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

शुद्धि स्वीकार की गई है

18/10/21  
 तहसीलदार रायपुर  
 जिला भीलवाड़ा

आदेश

आंच रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर एवं सलम दात्राके के अनुसार  
 ग्राम कारोल के खाना नं. 52 में खातेदार खेरीराम पुत्र मेरा  
 बलाई के बजाय खेरीराम पुत्र मेरा बलाई दर्ज किया जाके की  
 स्वीकृति दी जाती है। रिकार्ड के अगल किया जावे।

Chaitanya  
 18/10/2021

उपरखण्ड अधिकारी  
 रायपुर (भीलवाड़ा जिला)